# डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

कार्यालय : 265228, 264236
फेक्स : 07582–264236
E mail - registrardhsgu@rediffmail.com
www.dhsgsu.ac.in

**कुलसचिव**

विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर 470003(म.प्र.)


**क.: डीसीडीसी/2020/** 2805

11/12 **मई 2020**

प्रति,

**प्राचार्य**
**समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय**
**डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)**

**विषय :सत्र 2020–21 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में।**

महोदय,

1. उपरोक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित (बी.एड., बी.पी.एड., बी.ए.बी.एड., बी. एससी.बी.एड., एम.एड. आदि) पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP 12458/2017 सेन्टर फॉर हायर स्टडीज एण्ड रिसर्च बी.एड. कॉलेज जबलपुर एवं नर्मदा शिक्षा महाविद्यालय विरूद्ध शासन एवं अन्य में समय–समय पारित निर्णयों के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को महाविद्यालयों की सूची प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने हेतु भेजी जाना है। अतः इन संबद्ध महाविद्यालयों में परिनियम क. 28 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम कें मापदण्डों के अनुसार नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों की जानकारी शपथ–पत्र पर सात दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिन महाविद्यालयों में उक्त प्रावधानानुसार अपेक्षित प्राचार्य/शिक्षक वर्तमान में नियुक्त नहीं है वे इस बात का शपथ–पत्र दे की तीन माह के भीतर यह नियुक्ति करा ली जावेगी ।

2. इस जानकारी के अभाव में सत्र 2020–21 में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को भेजना संभव नहीं होगा। जिससे महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हो सकता है। जिसकी जबावदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी । इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. **प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल**–को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
2. **कुलपति के सचिव** – को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. **सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय** – को कुलसचिवजी के सूचनार्थ।

I/C निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद